न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)
पीठासीन अधिकारी जगदीश आर्य आर0ए0एस

मुकदमा नं0 75/2016

फकीरा पुत्र मोहन लाल जाति बंजारा निवासी ग्राम सोमका तहसील पहाडी

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी भरतपुर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जा0दी0

उपस्थित :– श्री प्रहलाद सिंह वकील प्रार्थी

दिनांक :– 29.11.2019

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जा0दी0 के तहत इस आशय के साथ पेश किया कि अप्रार्थी ने एक मुकदमा नं0 06/11 उनवानी राजस्थान सरकार बनाम फकीरा न्यायालय श्रीमान के यहाँ धारा 177 आर0टी0एक्ट बाबत खसरा नम्बर 1121/0.18 बांके ग्राम सोमका पेश किया था। वह दावा न्यायालय श्रीमान् ने दिनांक 25.04.2012 को डिक्री कर दिया उक्त डिक्री की पालना से आराजी सिवायचक में दर्ज हो गई। प्रार्थी ने उक्त निर्णय/डिक्री व्यथित होकर उक्त निर्णय की अपील संख्या 06/2014 न्यायलय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर कैम्प डीग के यहां प्रस्तुत की । जिसे न्यायालय ने दिनांक 22.04.2015 को आंशिक स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय पहाडी को पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की कि प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनने के बाद पुनः विधिवत निर्णय पारित करें। न्यायालय उपजिला कलैक्टर महोदय, पहाडी के यहाँ भेजी गई पत्रावली जिसे एस0डी0एम0 पहाडी ने प्रकरण संख्या 10/2015 दर्ज कर दोनों पक्षों की विधिवत सुनवाई कर न्यायालय श्रीमान ने राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा ग्राम पंचायत सोमका में दिनांक 23.05.2016 को फैसला इस आशय का दिया की आराजी खसरा नं0 1121/0.18 बांके ग्राम सोमका पर कोई मशीन नहीं है तथा भूमि कृषि कार्य में आ रही हैं व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 खारिज कर दिया है। न्यायालय एस0डी0एम0 पहाडी द्वारा पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 25.04.2012 निरस्त हो चुकी है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में उक्त डिक्री के आधार पर आराजी को सिवायचक दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड पहाडी
भरतपुर(राज०)

Scanned by CamScanner

होता चला आ रहा है। जबकि उक्त इन्द्राज की कायम रहने की कोई वैधता नहीं रही है। इसलिए राजस्व रिकार्ड में निर्णय/डिक्री दिनांक 25.04.2012 की पालना में जो इन्द्राज राजस्थान सरकार के नाम हो रहा है उसे कलमजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में निर्णय/डिक्री दिनांक 25.04.2012 से पूर्व की स्थिति बहाल की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

बहस में वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1121/0.18 बांके ग्राम सोमका में स्थित है। उक्त आराजी के सम्बन्ध में तहसीलदार पहाडी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 177 आर0टी0 एक्ट के तहत न्यायालय श्रीमान में पेश किया था जिसको न्यायालय श्रीमान ने 25.04.2012 को डिक्री कर दिया। उक्त डिक्री से व्यथित होकर प्रार्थी फकीरा ने उक्त डिक्री की अपील न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर कैम्प डीग के यहाँ पेश की। उक्त अपील न्यायालय द्वारा दिनांक 22.04.2015 को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये । पत्रावली न्यायालय श्रीमान के यहां रिमाण्ड कर दी। न्यायालय श्रीमान ने दोनों पक्षों को विधिवत् सुनते हुये । राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत सोमका में दिनांक 23.05.2016 को तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 177 आर0टी0 एक्ट खारिज कर दिया। न्यायालय एस0डी0एम0 पहाडी द्वारा पूर्व में की गई डिक्री दिनांक 25.04.2012 के आधार पर आराजी राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज हो गई। जबकि उक्त इन्द्राज की कायम रहने की कोई वैधता नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर आराजीयात के सम्बन्ध में डिक्री दिनांक 25.04.2012 से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में बहाल की जावे।

हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 1121/0.18 है0 बांके ग्राम सोमका तहसील पहाडी की बाबत तहसीलदार पहाडी को लिखा जावें कि प्रकरण में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 25.04.2012 से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में बहाल कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जगदीश आर्य)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर).

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

क्रमांकः—राजस्व / 19 /

दिनांक :—

तहसीलदार
पहाडी

फकीरा पुत्र मोहन लाल जाति बंजारा निवासी ग्राम सोमका तहसील पहाडी

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी भरतपुर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जा0दी0

उक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 29.11.2019 की मुताबिक विवादित आराजी खसरा नम्बर 1121 / 0.18 है0 बांके ग्राम सोमका तहसील पहाडी पर इस न्यायालय के निर्णय / डिक्री दिनांक 25.04.2012 से पूर्व की राजस्व रिकार्ड में स्थिति बहाल कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में अविलम्ब भिजवायें। पालना करने से पूर्व यह सुनिश्चित करले की प्रकरण से सम्बन्धित आराजी पर अन्य किसी न्यायालय का स्थगन न हो।

(जगदीश आर्य)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर).

Scanned by CamScanner